मु.नं.–49/2021 GCMS ID-2021/84 ता.रजु–29.06.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

कैलाश चंद शर्मा निवासी गोपाल गंज, पुराना पोस्ट ऑफिस के पास, हिण्डौन सिटी जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 14.07.2021 को उपस्थित। उसके बाद दिनांक 22.07.21, 29.07.21, 02.08.21, 11.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर "मंदिर गोपालजी हिण्डौन की खातेदारी की भूमियों से अतिक्रमण हटवा कर कब्जा पुजारी को दिये जाने से संबंधित पेश प्रार्थना पत्रों के संबंध में जिला कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की पालना उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी व तहसीलदार हिण्डौन सिटी द्वारा क्यों नहीं की, पालना रिपोर्ट में अतिक्रमण नहीं हटवाने तथा पुजारी को कब्जा नहीं दिलवाने का कारण, दोषी अधिकारी, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही, दण्डात्मक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित प्रस्ताव, संबंधित अधिकारियों के नाम आदि की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध तहसीलदार हिण्डौन सिटी से होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्रांक 328 दिनांक 13.05.21 द्वारा तहसीलदार हिण्डौनसिटी को अंतरित कर दिया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई थी।
5. तहसीलदार हिण्डौनसिटी ने पत्रांक 850 दिनांक 19.07.21 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाऐं प्रश्नात्मक प्रकृति की हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की श्रेणी में नहीं आती हैं। इसलिये अपीलार्थी को सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं है।
6. अपीलार्थी ने दिनांक 14.07.2021 को उपस्थित होकर एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी में मुकदमा संख्या 69/97 विचाराधीन है जो मंदिर माफी की जमीनों से संबंधित है। इनमें साप्ताहिक सुनवाई करवाने की कृपा करें। मु.नं. 69/97 का माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा एल.आर. एक्ट की धारा 82 के अंतर्गत रेफरेन्स द्वारा मंदिर के पक्ष में निर्णय कर मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी हिण्डौन के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है किन्तु माफी की जमीनें तहसीलदार हिण्डौन की रिसीवरी में होने के कारण कब्जा नहीं मिल पा रहा है। यदि मु.नं. 69/97 का निस्तारण जल्दी हो जावे तो जमीनें रिसीवरी से मुक्त हो सकेंगी और जमीनों का कब्जा मंदिर के पुजारी को मिल सकेगा।
7. उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी ने पत्रांक–कोर्ट/2021/5042 दिनांक 11.08.2021 से अवगत करवाया है कि मुकदमा नं. 69/96 मूर्ति मंदिर गोपाल जी बनाम भभूत्या वगै. मे आगामी दिनांक 31.08.21 नियत है। उक्त प्रकरण वर्तमान में न्यायालय हाजा में कायम मुकाम तलवी में विचाराधीन है। अपने पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी संलग्न किया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा उनके मुकदमों में नियमित सुनवाई होना एवं सुनवाई से संतुष्ट होना अंकित किया है।
8. पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
करौली

9. अपीलार्थी द्वारा मंदिर श्री गोपालजी की भूमि तहसीलदार हिण्डौन सिटी की रिसीवरी में हैं जिनके संबंध में उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के न्यायालय में प्रकरण संख्या 69/96 विचाराधीन है जो कायम मुकाम तलवी में विचाराधीन है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया है कि भूमि के रिसीवरी से मुक्त होने पर मंदिर की भूमियों से अतिक्रमण हटवाया जा सकेगा और मंदिर की भूमियों पर मंदिर के पुजारी को कब्जा दिलवाया जा सकेगा। इस संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी में विचाराधीन वाद में भी की जा रही सुनवाई से अपीलार्थी ने संतुष्टि व्यक्त की है। अतः हम अपील, अपीलार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
10. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
11. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
12. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
13. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, करौली